अध्याय - 13
व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

संगठन

13.2 कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान श्रम मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है महानिदेशालय(डीजीफासली), मुंबई, कारखानों एवं पत्तनों/गोदियों में कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित मामलों में मंत्रालय के तकनीकी स्कंध के रूप में कार्य करता है। यह कारखानों एवं पत्तनों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी नीति और कानूनों के गठन एवं समीक्षा में केन्द्र सरकार की सहायता करता है; कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन में राज्यों व संघशासित प्रदेशों के कारखाना निरीक्षणालयों से संपर्क बनाए रखता है; तकनीकी मामलों पर सलाह देता हैः गोदी कामगार(सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 को लागू करवाता हैः औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक आरोग्य एवं औद्योगिक मनोविज्ञान इत्यादि में अनुसंधान कार्य करता है तथा मुख्यतः औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य में तीन महीने का स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (औद्योगिक स्वास्थ्य का एसोसिएट फेलो), औद्योगिक आरोग्य तकनीकों में छः सप्ताह का पाठ्यक्रम और जोख़िम प्रकिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षीय कार्मिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एक महीने का विशेषज्ञ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

13.3 डीजीफासली संगठन की संरचना में मुख्यालय, पांच श्रम संस्थान और 11 मुख्य पत्तनों में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय शामिल हैं। मुंबई स्थित मुख्यालय में निम्नलिखित प्रभाग हैं, नामतः कारखाना सलाह सेवा, गोदी सुरक्षा और पुरस्कार ।

13.4 केन्द्रीय श्रम संस्थान ने मुंबई 1959 में कार्य करना शुरू किया। वर्तमान परिसर में संस्थान फरवरी 1966 में स्थानांतरित हुआ और मुख्य कारखाना सलाहकार के अधीन, विभिन्न स्थानों पर कार्यरत, सभी कार्य-विभागों को एक छत्रछाया में लाया गया। पिछले 31 वर्षों में संस्थान ने प्रगति की है और निम्नलिखित प्रभागों सहित एक प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र का दर्जा प्राप्त कर लिया हैः

- औद्योगिक सुरक्षा
- औद्योगिक आरोग्य
- औद्योगिक चिकित्सा
- औद्योगिक फिजियोलोजी
- औद्योगिक मनोविज्ञान
- औद्योगिक एर्गोनॉमिक्स
- पर्यावरणीय अभियांत्रिकी
- कर्मचारी प्रशिक्षण
- लघु उद्योग कारखाने
- उत्पादकता
- भीषण दुर्घटना खतरा नियंत्रण
- प्रबंध सूचना सेवाएं
- सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संचार
- निर्माण सुरक्षा

13.5 संस्थान के विभिन्न प्रभागों की गतिविधियों में अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित करना, तकनीकी सलाह देना, सुरक्षा परीक्षण करना, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों की जांच

करके निष्पादन रिपोर्ट जारी करना, व्याख्यान देना, इत्यादि शामिल हैं। इनमें से जो कुछ सुविधाएं जिन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं, वे आवश्यकता होने पर वहां प्रदान की जाती हैं।

13.6 कोलकाता चेन्नई और कानपुर स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान(RLIs) उनसे संबंधित, देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं। इन संस्थानों में से हरेक में निम्नलिखित प्रभाग/अनुभाग हैः

* औद्योगिक सुरक्षा
* औद्योगिक आरोग्य
* औद्योगिक चिकित्सा
* प्रशिक्षण एवं उत्पादकता
* संचार
* भीषण दुर्घटना खतरा नियंत्रण
* कंप्यूटर केन्द्र

13.7 फरीदाबाद के क्षेत्रीय श्रम संस्थान के गठन का कार्य अभी जारी है। केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लेकर, किराए के परिसर में एक कार्यालय स्थापित किया गया है। यह उत्तरी राज्यों/संघशासित प्रदेशों नामतः दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर और हिमाचल प्रदेश को एक अधिक प्रभावी ढ़ंग एवं प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान करेगा, क्योंकि फिलहाल इन्हें क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कानपुर सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसे कई राज्यों को अपनी सेवाएं प्रदान करनी पड़ती हैं।

13.8 भारत के 11 मुख्य पत्तनों नामतः कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्‌टनम, परादीप, कांडला, मार्मुगांव, तूतिकोरीन, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और न्यू मैंगलोर में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित किए गए हैं। एन्नोर पत्तन पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

कर्मचारियों की संख्या

दिनांक 30.09.2006 के अनुसार डी जी फासली संगठन में जनशक्ति की स्थिति बॉक्स 13.2 में दी गई हैः

क्रियाकलाप

13.9 **कारखानों में सुरक्षा**

मुख्य कारखाना निरीक्षकों, राज्य सरकारों, श्रम मंत्रालय, कारखानों आदि को निम्नलिखित विषयों पर, कारखाना अधिनियम,1948 के उपबंधों पर टिप्पणियां/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गएः

- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर मसौदा विधान।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों और अन्य संगठनों से प्राप्त सुझाव।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए संवर्धक फ्रेमवर्क पर कंवेंशन और संस्तुतियों से संबंधित आई.एल.ओ. रिपोर्ट IV2(B)
- पश्चिम बंगाल नगर निगम विधेयक, 2006.
- "विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षाओं को सरल और कारगर बनाना" पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।
- "प्रतिष्ठित कार्य-एशियन लक्ष्य" पर आई.एल.ओ. की रिपोर्ट।
- श्रम निरीक्षण कन्वेंशन नं. 81-रिपोर्ट फार्म और अवधारणा 2004 को

आई.एल.ओ. की अन्तिम रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत करना।

- कारखाना (तमिलनाडु) संशोधन विधेयक,2005
- मुख्य औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम से संबंधित आई.एल.ओ. कन्वेंशन सं. 174.
- युवा व्यक्तियों की रात की पाली में काम करने से संबंधित आई.एल. ओ. कन्वेशन सं. 90
- भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में सांख्यिकी सलाहकार पदनामित करने का प्रस्ताव।

अन्य :

- अपराध कानून (आशोधन) विधेयक,2005 से संबंधित जानकारी तैयार की गई- “Plea Bargaining” की परिकल्पना।
- 26-27 अक्तूबर,2006 को “व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बद्ध संस्थानों, वृत्तिकों और सेवाओं के प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोदी सुरक्षाः

13.10 गोदी कामगार(सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण), अधिनियम, 1986, दिनांक 14 अप्रैल 1987 को प्रवृत हुआ। इस अधिनियम के अधीन गोदी कामगार(सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण), नियम, 1990 और विनियम 1990 बनाए गए। इन नए प्रावधानों के कारण, गोदी कार्य में पर्याप्त विस्तार हुआ है और पत्तनों पर कार्यरत वे सभी कामगार, जो पहले सुरक्षा, स्वाथ्य और कल्याण के दायरे में नहीं आते थे, अब सम्मिलित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, भारत के प्रमुख पत्तनों पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए जोख़िमपूर्ण निर्माण, भण्डारण और रासायनों का आयात नियम, 1989 भी लागू कराता है।

13.11 अप्रैल 2006 से सितम्बर 2006 की अवधि के दौरान मुख्य पत्तनों पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों ने पोतों और तेल टैंकरों के 716 निरीक्षण किए। सभी पत्तनों पर कुल मिलाकर 86 रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं हुई जिनमें से 7 घातक थीं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम
व्यावसायिक कार्यक्रम

- वर्ष 2005-06 के दौरान कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40(B) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित 143 सुरक्षा अधिकारियों के लिए केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, क्षेत्रीय श्रम संस्थान कोलकाता , क्षेत्रीय श्रम संस्थान कानपुर, क्षेत्रीय श्रम संस्थान चेन्नई में औद्योगिक सुरक्षा पर एक वर्षीय उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।
- कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41-c और इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा अपेक्षित 62 चिकित्साकार्मिकों के लिए केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई और क्षेत्रीय श्रम संस्थान कोलकाता में तीन माह एसोसिएट फैलो(AFIH) पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में एक ही संगठन के प्रबंधन कार्मिकों और मजदूर संघ नेताओं की संयुक्त प्रतिभागिता एक विशेष उपलब्धि रही। सितम्बर 2006 की अवधि के दौरान संगोष्ठी, कार्यशालाओं सहित 66 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा कारखानों में आयोजित प्रशिक्षणों में 353 संगठनों के 1221 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त डीजीफासली के विभिन्न प्रभागों और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर स्थित श्रम संस्थानों द्वारा आयोजित प्रोत्साहन कार्यक्रमों में 2630 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अध्ययन/सर्वेक्षण

13.12 चयनित उद्योग और परिचालन समूहों में कार्य परिस्थितियों और सुरक्षा मानकों का पता लगाने के लिए **राष्ट्रीय अध्ययन तथा सर्वेक्षण कार्य किए जाते हैं।** झारखंड और कर्नाटक राज्यों में सक्षमता मूल्यांकन और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय अध्ययन और सर्वेक्षण पूर्ण किए गए। इसके अतिरिक्त(1) बिहार, त्रिपुरा और उत्तरांचल राज्यों में सक्षमता मूल्यांकन और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन (2) बाल मज़दूरों का (आई. एल.ओ. परियोजना) का सुरक्षा, स्वास्थ्य और एर्गोनॉमिक्स जैसे राष्ट्रीय अध्ययन/सर्वेक्षण प्रगति पर हैं।

13.13 कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्तर का पता लगाने के लिए राज्य के कुछेक प्राथमिकता क्षेत्रों में **राज्य स्तरीय अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाते हैं।** राज्य स्तरीय अध्ययन, नामतः मैसर्स मॉनसेंटो कैमिकल इंडिया लिं., सिलवासा में हर्बिसाइड के जोख़िम का अध्ययन पूर्ण हो गया तथा "श्री श्याम बोर्ड और पेपर मिल लिं., काशीपुर उत्तरांचल में सोडियम क्लोरेट भण्डारण क्षेत्र में दुर्घटना की जांच" का अध्ययन प्रगति पर है।

13.14 प्रबंधकों के अनुरोध का **इकाई स्तर पर परामर्श अध्ययन किए जाते हैं** और आगे सुधार करने के लिए तथा सिफारिशों को लागू करने के लिए रिपोर्ट भेज दी जाती हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्श अध्ययन किया गयाः

• वायुचालितप्रदुषक	11
• शोर का स्तर	2
• पर्यावरण	5
• ऊष्मा तनाव अध्ययन	1
• वातायन अध्ययन	1
• सुरक्षा जांच	10
• हैजोप अध्ययन	1
• एर्गोनॉमिक्स अध्ययन	10
• जोखिम मूल्यांकन	1

नेशलन रेफरल डायग्नॉस्टिक सेंटरः

13.17 सिलिकॉसिस, व्यावसायिक त्वचारोग आदि जैसे व्यावसायिक रोगों के संदिग्ध मामले नेशनल रेफरल डायग्नॉस्टिक सेंटर को राय के लिए भेजे जाते हैं।

डीजीफासली की प्लान योजनाएं

13.18 वर्ष 2006-07 के दौरान, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन डीजीफासली में 6 प्लान योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इनमें से तीन नौवी पंचवर्षीय योजना से जारी हैं और शेष तीन सातवीं पंचवर्षीय योजना से जारी है।

जारी प्लान योजनाएं

प्लान योजना-I : सुरक्षा और स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा डाटा बैंक का विकास

उद्देश्य : व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य राष्ट्रीय सूची और राज्य कारखाना निरीक्षणालयों तथा डीजीफासली के बीच तालमेल का विकास। इस सूची में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्माण क्रियाकलाप, इकाइयों और राज्य स्तर पर व्यावसायिक चोट और रोगों, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित जानकारी होगी। (क) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य डाटा बैंक का विकास, (ख) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जानकारी का विस्तार इस योजना की उपलब्धियां हैं।

प्लान योजना-II: फरीदाबाद में क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना

उद्देश्यः इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित उत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना है जो क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कानपुर द्वारा, अधिक कार्यभार के कारण, प्रभावी रूप से पूरी नहीं की जा रहीं है। यह संस्थान लघु उद्योगों को सहयोग देने के लिए विशेष ध्यान देगा। इसके साथ ही यह, मंत्रालय तथा अन्य सरकारी विभागों से बेहतर संपर्क बनाने में डीजीफासली की नीति योजना में सहयोग देगा।

प्लान योजना-III : मुख्य पत्तनों पर गोदी कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रवर्तन प्रणाली में सुधार लाना और उसे सुदृढ़ बनाना।

उद्देश्यः निरीक्षकों के ज्ञान में वृद्धि और उनकी दक्षता का विकास करना ताकि वे समुद्रीय उधोग के मौजूदा विकास का निर्वहन करने में सक्षम हों तथा प्रशिक्षकों, प्राधिकृत, जिम्मेदार एवं सक्षम व्यक्तियों आदि तथा विशेषज्ञ श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को खतरनाक पदार्थ एवं कन्टनर्स को हैंडल करने का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डीजीफासली के अधिकारियों की क्षमता का विकास करना। इससे पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा जोख़िमपूर्ण रासायन का निर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989 के अधीन गोदी सुरक्षा मुख्य निरीक्षक के रूप में डीजीफासली के संवैधानिक दायित्व पूर्ण होंगे।

(i) गोदी सुरक्षा निरीक्षकों, दायित्वपूर्ण व्यक्तियों, प्राधिकृत व्यक्तियों, पर्यवेक्षीय कार्मिकों, मजदूर संघ कर्मचारियों, पत्तन प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों, सुरक्षा समिति सदस्यों, सक्षम व्यक्तियों और सुरक्षा अधिकारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ संगोष्ठियों/ कर्मशालाओं का आयोजन तथा (ii) पोत, कन्टेनर, शिप, टैंकर, लूज़ गीयर, गोदी, कन्टेनर यार्ड, जोख़िम पूर्ण प्रतिष्ठापन, विलगित भण्डारण और पाइपलाइन, आई.सी.डी. आदि का निरीक्षण जैसे प्रवर्तन क्रियाकलाप इस योजना की मुख्य उपलब्धि हैं।

पुरानी प्लान योजनाः

पुरानी प्लान योजना IV : रसायन सुरक्षा प्रणाली की स्थापना और जोख़िमपूर्ण उद्योगों में कार्यरत कामगारों के व्यावसायिक स्वास्थ्य स्तर की निगरानी

उद्देश्यः इस योजना के तीन घटक हैं, रासायन सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और वैयक्तिक संरक्षण उपकरण का परीक्षण और प्रमाणन । प्लान योजना के ये तीनों घटक 8वीं प्लान अवधि के दौरान एक पृथक प्लान योजना के रूप में आरंभ किए गए थे। तथापि तीनों प्लान योजनाएं गत् वर्ष 9वीं प्लान योजना में आयोजित कर ली गई। प्लान योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैंः

- प्राथमिकता वाली जोख़िमपूर्ण रासायन प्रक्रियाओं में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त मात्रा में विवरण जुटाने के लिए राष्ट्र स्तरीय अनुसंधान परियोजना पर कार्य करना।
- प्रबंधन, कामगारों और उनके प्रतिनिधियों की क्षमता सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रासायन सुरक्षा में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और मुख्य औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण देना।
- स्वास्थ्य प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना, उदाहरण के लिए, पहले आपूर्ति किए गए उपकरणों के उपयोग द्वारा कारखाना अधिनियम की धारा 41- च के अधीन कार्य पर्यावरण की निगरानी करना।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य परिचायक पाठ्यक्रम सहित चिकित्सा अधिकारियों के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फैलो पाठ्यक्रम का क्षेत्रीय श्रम संस्थानों तक विस्तार करना।
- वैयक्तिक संरक्षण उपकरणों के लिए गुणता आश्वासन कार्यक्रम।

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठी/कार्यशाला, अध्ययन और सर्वेक्षण, विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोयजन तथा (ख) गैर श्वसनिक और श्वसनिक व्यक्तिक संरक्षण उपकरणों आदि का परीक्षण इस योजना की मुख्य उपलब्धियां हैं।

प्लान योजना V : कारखानों, गोदियों तथा लघु और मध्यम उद्योगों में एर्गोनॉमिक्स का उपयोग और कार्य परिस्थिति और उत्पादकता में सुधार

एर्गोनॉमिक्स

उद्देश्य :

- कारखानों, गोदियों तथा निर्माण कार्य में अनुसंधान अध्ययन/परामर्श करना ताकि मानव और मशीन में सामंजस्य हो सके।
- दैनिक औद्योगिक कार्यों के लिए थर्मल सीमा के मानक तय करना तथा विभिन्न समस्याओं के सुधारात्मक उपाय करना
- कार्यभार के विभिन्न समिश्रणों के लिए कार्य-विश्राम अवधि निर्धारित करना।

लघु और मध्यम उद्योग :

उद्देश्य : लघु और मध्यम उद्योगों में कार्य परिस्थिति में सुधार करना जिससे मालिकों, प्रबंधकों और कामगारों के प्रशिक्षण द्वारा उच्च उत्पादकता और कर्मचारी सुविधा और सन्तुष्टि प्राप्त हो सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्ययन/सर्वेक्षण आदि इस स्कीम की उपलब्धियां हैं।

प्लान योजना – VI : डीजीफासली को पुनः संगठित और सुदृढ़ बनाना तथा विशेष स्कंधों की स्थापना।

उद्देश्य : कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अधीन विशिष्ट अपेक्षाओं को तथा कारखाना में सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए विशेष स्कंधों के सृजन द्वारा डीजीफासली में सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार करना।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर स्लाइड/पोस्टर तथा वीडियों फिल्मों का निर्माण इस योजना की उपलब्धियां हैं।

भीषण दुर्घटना खतरा नियंत्रण

13.19 केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुबई में भीषण दुर्घटना खतरा नियंत्रण परामर्श प्रभाग राज्य सरकारों और एमएएच इकाइयों को भीषण दुर्घटना खतरों के नियंत्रण, आपात स्थिति योजनाओं की तैयारी, सुरक्षा परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन आदि पर सलाह देता है। यह रिपोर्ट तैयार होने तक, एमएएच इकाइयों, जोखिमपूर्ण रसायन, उपलब्ध आपात स्थिति योयजनाओं के विवरण इस प्रकार हैः 1539 एमएएच इकाइयां, 162 जोखिमपूर्ण रसायन, 1361 स्थल पर आपात स्थिति योजनाएं।

प्रबंधन सूचना सेवाएं

13.20 कें.श्र.सं. कनाडियन व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सीडीरोम्स के रूप में प्रकाशित माइक्रोफिशेज़ और अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयरों में सुसज्जित है, जिनमें सीसीआईएनएफओ डिस्क, सीआईएस ग्रंथात्मक सूचना तंत्र, रासायनिक पदार्थों के विषैले प्रभावां पर निओश रजिस्ट्री, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले रसायनों पर सूचना(सेसार्स), आदि शामिल हैं। इसके पास व्हाज़ान और ईपाकेम सॉफ्टवेयर भी है। माइक्रोफिश पठन सेवा एक सुसज्जित पुस्तकालय के जरिए प्रदान की जाती है जिसमें 25,000 से भी अधिक पुस्तकें और तकनीकी ग्रंथ हैं। ई-मेल सेवा के जरिए कें.श्र.सं. निकनेट से जुड़ गया है। इसके अलावा, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क(इंडोश्नेट) भी स्थापित किया गया है जिसमें डीजीफासली प्रमुख एजेन्सी के रूप में तथा सीआईएस केन्द्र नेटवर्क संचालक के रूप में काम कर रहे हैं।

डीजीफासली वेबसाइटः

13.21 डीजीफासली की वेबसाइट जनवरी, 2001 में शुरू की गई। वेबसाइट www.dgfasli.nic.in विभिन्न सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर सूचना का एक स्रोत है। इन विषयों में ओएस एण्ड एच अध्ययनों, रिपोर्टों के सारांश पर सूचना तंत्र, श्वसनी एवं गैर-श्वसनी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों के परीक्षण, ज्वालारोधी उपकरण अनुमोदन, सामग्री सुरक्षा सूचना पत्र और नेशनल रेफरल डायग्नॉस्टिक सेंटर आदि के क्षेत्र में डीजीफासली द्वारा प्रदत्त सलाह सेवाएं शमिल हैं। डीजीफासली का समाचारपत्र इंडोश्न्यूज़ भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी श्रम संस्थानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के कैलेन्डर, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार एवं विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, एएफआईएच कोर्स, औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा कोर्स की घोषणा आदि, आवेदन पत्रों के साथ वेबसाइट पर ही उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट पर उपयोगकर्ता सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपयोगी वेबसाइटों तक भी पहुंच सकते हैं और सुरक्षा एवं स्वस्थ्य से जुड़ी एजेन्सियों के संगठन विवरण की राष्ट्रीय निर्देशिका प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए आदर्श नियम तथा गोदी कामगार(सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 आदि भी दिए गए हैं। उपयोगकर्ता वेबसाइट पर ही अपनी टिप्पणियां और अपेक्षाएं दे सकता है ताकि वेबसाइट को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। वेबसाइट को दूरस्थ प्रकाशन प्रणाली के जरिए अद्यतन किया जाता है।

सुरक्षा और स्वास्थ्य संचार

13.22 औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के अद्यतन के लिए केन्द्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थान वीडियो फिल्मों और बैनर, सुरक्षा पोस्टर और तकनीकी साहित्य जैसी प्रचार सामग्री उपलब्ध कराते हैं। केन्द्रीय श्रम संस्थान में आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक कला स्टूडियो है।

औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र

13.23 केन्द्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र पैनलों, मॉडलों, चार्ट, ग्राफ्स,आलेखों आदि के जरिए खतरा संप्रेषण का प्रसार करते हैं, जिन्हें उद्योगों से कामगार, कार्यपालक तथा अन्य देशों के प्रतिनिधि देखने के लिए आते हैं। इस अवधि में 1868 आगन्तुकों के लिए 86 सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण

13.24 केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई स्थित श्वसनी एवं गैर-श्वसनी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाएं कनस्तर, मास्क, हेल्मेट, सुरक्षा जूतों, सुरक्षा चश्मों, सुरक्षा पट्टों, वेल्डिंग चश्मों आदि के निष्पादन परीक्षण करती हैं। संबंधित बीआईएस मानकों के अनुसार निष्पादन गुण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का परीक्षण किया गया :

- 65 डस्ट रेस्पिरेटर, कनस्तर, डस्ट फिल्टर आदि।
- हेल्मेट, सुरक्षा जूतों आदि जैसे 191 गैर-श्वसनी उपकरण।

13.25 बी आई एस मानक आई एसः 2148-1981 के अनुसार, ज्वालारोधी विद्युतीय एन्क्लोज़रों के जोख़िमपूर्ण वातावरण में उपयोग के लिए डीजीफासली, अनुमोदन एजेंसी है। 5 निर्माताओं से प्राप्त आवेदनों में से 4 निर्माताओं को 5 अनुमोदन प्रदान किए गए।

13.26

बीआईएस समिति में प्रतिनिधित्वः

13.27 डीजीफासली के अधिकारियों ने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी कई बीआईएस समितियों/उपसमितियों में प्रतिनिधित्व किया।

13.28 श्रम मंत्रालय की ओर से, डीजीफासली सन् 1985 से विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार(जिसे पहले राष्ट्रीय श्रम वीर पुरस्कार कहा जाता था) और सन् 1965 से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। सन् 1970 में और पुनः 1977 में इन योजनाओं में सुधार किया गया। फिलहाल लागू योजनाएं इस प्रकार हैः

- **विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कारः यह योजना** (i) उच्च उत्पादकता (ii) कार्य स्थिति में सुधार (iii) उत्पादन की गुणता और सुरक्षा के साथ-साथ विदेशी मुद्रा की बचत (iv) स्थापनाओं की दक्षता में संपूर्ण सुधार के संबंध में अतिविशिष्ट सुझाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस योजना में कारखानों और गोदियों में कार्यरत कामगार भाग ले सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और ये आवेदन कामगारों की ओर से प्रबंधक भेजते हैं।
- पुरस्कारों को तीन श्रेणियों में रखा गया है अर्थात् श्रेणी (**क**) – 50,000रूपए प्रत्येक के **3** पुरस्कार, श्रेणी (**ख**) – 25,000 रूपए प्रत्येक के 5 पुरस्कार और श्रेणी (**ग**) – 10,000 रूपए प्रत्येक के 10 पुरस्कार।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारः** कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों और गोदी कामगार(सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार(रोज़गार विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत आने वाले नियोक्ताओं के अच्छे सुरक्षा निष्पादन को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए जाते

हैं। विजेताओं और उप विजेताओं को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं। योजना I से VIII तक कारखानों और निर्माण स्थलों तथा योजना IX से X तक पत्तनों से संबंधित हैं।

13.28 वर्ष 2005 के विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान करने के लिए 17 सितम्बर,2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। तत्कालीन श्रम और रोज़गार राज्यमंत्री, श्री चन्द्रशेखर साहू ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्राप्त 320 आवेदनों में से 91 को पुरस्कृत किया गया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के लिए प्राप्त 405 आवेदनों में से 109 को पुरस्कृत किया गया।

खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद

13.29 खनिज को किसी भी देश के आर्थिक विकास का मेरूदंड समझा गया है और भारतवर्ष प्रकृति के इस उपहार से संपन्न है । प्रगतिशील औद्योगीकरण एवं माँग में वृद्धि के अनुरूप विभिन्न खनिजों के उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि हुई । लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में खनन गतिविधि में तेजी आई । वृद्धिगत लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए खनन गतिविधि में यांत्रिकीकरण किया गया है । तालिका 13.3 में कुछ मुख्य प्राचालों के विकास जैसे खानों की संस्था, उत्खनित खनिजों के मूल्य, कार्यरत औसत मशीनी शक्ति एवं व्यवहार में लाये गए विस्फोटकों आदि को दर्शाया गया है । बड़े पैमाने पर मशीनीकरण करने के कारण खानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को जोखिमों का सामना करना पड़ता है । भारतीय संविधान के अनुसार खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य केन्द्र सरकार के विषय हैं (संघ सूची के अनुच्छेद 246 की प्रविष्टि 55) इस उद्देश्य की पूर्ति खान अधिनियम 1952 के तहत निर्मित नियमों एवं विनियमों द्वारा की जाती है जो केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद द्वारा प्रशासित है । खान अधिनियम एवं अधीनस्थ विधानों को प्रशासित करने के साथ-साथ खान सुरक्षा महानिदेशालय अन्य संबद्ध विधानों को भी प्रशासित करता है । ये इस प्रकार हैं:-

खान अधिनियम, 1952

- कोयला खान विनियम, 1957
- धातुमय खान विनियम, 1961
- तेल खान विनियम, 1984
- खान नियम, 1955
- खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
- खान बचाव नियम, 1985
- खान शिशु गृह नियम, 1966
- कोयला खान पिट हेड बाथ नियम, 1959

विद्युत अधिनियम, 1910

- भारतीय विद्युत नियम, 1966 (जहां तक इनका संबंध है वे केवल खानों से संबंधित हैं)

संबद्ध विधान

- फैक्ट्री अधिनियम, 1948, अध्याय III&IV
- पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत1989 में गठित नियमों के तहत खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण एवं आयात ।
- भूमि अधिग्रहण (खान) अधिनियम, 1885
- कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974

संगठनात्मक स्वरूप

13.30 खान सुरक्षा महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्यालय धनबाद (झ ारखंड) में है और □ा-न सुर□ा महा-निदेश□ इसके विभागाध्यक्ष होते हैं । मुख्यालय में महानिदेशक के सहायतार्थ खनन, विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग के अलावे व्यावसायिक स्वास्थ्य, सांख्यिकी, विधि, सर्वेक्षण, प्रशासन एवं ले□ा संभा□ों □ विशेषज्ञ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है । मुख्यालय में एक तकनीकी पुस्तकालय एवं विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला भी है जो संगठन को तकनीकी सुविधाएँ मुहैया कराता है । क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय □ार्यालय □ रूप में द्विस्तरीय नेटवर्क के रूप में कार्य करता है । समस्त देश छः जोनों में विभाजित है और प्रत्येक जोन के प्रमुख खान सुरक्षा उपमहानिदेशक होते हैं । प्रत्येक जोनल कार्यालय के अधीनस्थ तीन से चार क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसका प्रमुख खान सुर□ा निदेशक होता है। समस्त देश में कुल 21 □ेत्रीय □ार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों से दूर गहन खनन क्षेत्रों में पाँच उप क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं जो प्रत्येक खान सुरक्षा उप-निदेशक के अधीन कार्य करता है । प्रत्येक जोन में खनन संवर्ग के निरीक्षण अधिकारियों के अलावा विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य संभाग के अधिकारी भी होते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय में स्वीकृत कुल पदों □ी सं□या दि-नां□ 31.10.05 तक 996 हैं जिनमें 747 पद भरे हुये हैं जो नीचे की तालिका से स्पष्ट है:-

श्र□ी	संस्वीकृत पद	वर्तमान कार्यरत पद
श्र□ी □	177	133
श्र□ी □ा	104	85
श्र□ी □	468	355
श्रेणी घ	247	174
यो□	996	747

दुर्घटना की प्रवृत्ति

13.31 कोयला और गैर कोयला खानों में हुई प्राणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति **(तालिका 13.4)** में दर्शायी गयी है । □ोयला एवं गैर कोयला खानों की प्राणघातक दुर्घटनाओं का कारणवार वितरण **तालिका 13.5** एवं **13.6** में दर्शाया □या है। कोयले की परत छत और साईड से गिरना कोयला खानों में प्राणघातक दुर्घटनाओं का सबसे वडा कारण रहा। उसके बाद डंपर और ट्रकों के कारण गैर कोयला खानों से सर्वाधिक प्राणघातक दुर्धटना हुई।

दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अनेक कदम उठाये हैं।

सुरक्षा उपाय

13.32 खानों में आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महा-निदेशालय के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और जाँच पड़ताल किया जाता है । कोयला, धातु एवं तेल के खानों का निरीक्षण □र-ने □ साथ-साथ □ा-न सुर□ा महा-निदेशालय प्राणघातक, गंभीर एवं खतरनाक दुर्घटनाओं की भी जाँच करता है और वैसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति की रोकथाम के लिए उपाय हेतु सिफारिश भी करता है ।

- वर्ष 1997 से वर्ष 2006 तक दुर्घटनाओं का विवरण तालिका 13.6ए में दर्शाया गया है।
- खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 एवं 22 अ कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 103 एवं धातुमय खान विनियम 1961 के विनियम 108 के तहत खानों में या उसके भाग में व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने को निषिद्ध करने या विरोघ करने सम्बन्धित सुधार सूचना एवं निषेधात्मक आदेश जारी करने की शक्ति

खान सुरक्षा महानिदेशालय को दी गई है ।

- अप्रैल 2006 से सितंबर 2006 तक कोयला खानों को 60 नोटिस एवं 30 आदेश और गैर कोयला खानों को 31 सूचनाएँ और 119 आदेश जारी किये गये हैं ।
- तालिका 13.7 में वर्ष 1995 से आगे की गयी निरीक्षणों एवं पड़तालों की संख्या दर्शायी गयी है।

परिपत्र

13.33 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धित व्यापक जटिल मामलों पर खान सुरक्षा महानिदेशालय खनन उद्योग को परिपत्र जारी करता है । वर्ष 2005-06 के दौरान खनन उद्योग को 4 तकनीकी परिपत्र, 1 तकनीकी निर्देश तथा 1 सामान्य निर्देश जारी किया गया है ।

सक्षमता जाँच

13.34 यह सुनिश्चित करने के लिए कि खान प्रबंधक, सर्वेक्षक, ओवरमैन, फोरमैन, आदि के पदों पर केवल सक्षम व्यक्ति ही नियुक्त किया जाय, खान सुरक्षा महानिदेशालय कोयला खान विनियम 1957 एवं धातुमय खान विनियम 1961 के तहत गठित खनन परीक्षा बोर्ड के तहत परीक्षाएँ संचालित करता है और सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करता है । अप्रैल 2006 से अक्टुबर 2006 तक निर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्रों का विवरण तालिका 13.8 में दिया गया है ।

खान सुरक्षा उपकरणों का अनुमोदन

कोयला खान विनियम, 1986, धातुमय खान विनियम, 1961, तेल खान विनियम, 1984, खान बचाव नियम, 1985 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के तहत वर्णित वैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु खानों में प्रयुक्त विविध उपकरणों की मंजूरी मुख्य खान निरीक्षक, (जिन्हें खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी पदनामित किया गया है) द्वारा दी जाती है। अनुमोदन की प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्माताओं द्वारा अपनायी गयी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली तथा उन उपकरणों एवं सामग्रियों इत्यादि के निर्माण संबंधित उनकी क्षमता को पता लगाने के लिए आवेदनों की संवीक्षा शामिल है, जो प्रतिकूल खनन दशाओं में भी लंबे समय तक कार्य करता रहे। उन उपकरणों की भारतीय मानक के अनुकूलता की संपुष्टि करना अनिवार्य है और यदि कई उपकरणों में भारतीय मानक उपलब्ध नही है तो उत्पादन करनेवाले देश के मानकों आदि (आइ एस ओ / ई एन / डी आइ एन इत्यादि) के अनुरूप होने चाहिए। उस आवेदन पत्र में आवश्यक मानक संबंध में अनुमोदित प्रयोगशाला से जारी जाँच प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। कागजात की संवीक्षा करने तथा उन्हें व्यवस्थित पाये जाने के उपरान्त उपकरणों को विभिन्न खानों में ले जाकर उनकी भूमिगत (पिट) परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में क्षमता की जॉच के लिए क्षेत्रीय जाँच की अनुमति दी जाती है। उपकरणों की सफलतापूर्वक जाँच के उपरान्त कार्यक्षेत्र संबंधित खान प्रबंधन से निष्पादन रिपोर्ट मँगायी जाती है। उन प्रतिवेदनों को संतोषजनक पाये जाने पर विशेष अवधि के लिए नियमित मंजूरी दी जाती है।

अनुमोदित किये जानेवाले मशीनों / उपकरणों एवं सामग्रियों को निम्नवत श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है:-

(i) निजी सुरक्षात्मक उपकरण
(ii) पर्यावरण का प्रबोधन करनेवाले उपकरण
(iii) बचाव उपकरण
(iv) विधुतीय उपकरण एवं केबल

(v) विस्फोटक तथा उपयंत्र
(vi) खनन कार्य संपादित करनेवाले मशीन तथा अन्य उपकरण तथा
(vii) भूमिगत खानों में उपयोग किये जानेवाले सुरक्षा उपकरण

वर्ष 2005-06 □ दौरा-ा □ा-नों में प्रयो□ के लिए मशीनों तथा उपकरणों आदि की 97 अनुमतियाँ दी गयी जबकि 1.4.2006 से 31.10.2006 के दौरान यह संख्या 71 आँकी गयी।

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)

13.35 भारत सरकार ने खान अधिनियम, 1952 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर उच्च कोटि की सुरक्षा उपलब्धियों की समुचित पहचान कराने के विचार से वर्ष 1983 में (प्रतियोगिता वर्ष 1982 के लिए) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की शुरूआत की। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है । प्रतियोगिता वर्ष 2002 एवं 2003 के लिए पुरस्कृत किये जानेवाले खानों या विजेता खानों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और पुरस्कार वितरण समारोह शीघ्र ही सम्पन्न किया जाना संभावित है।

चालू प्लान योजनाएँ

विज्ञान एवं तकनीकि क्षमताओं, खान बचाओं सेवाओं एवं मानव संसाधन विकास (विज्ञान एवं तकनीकी) का संवर्द्धन

13.36 इस योजना का सूत्रीकरण चालू योजनाओं के आधार पर खान सुरक्षा महानिदेशालय में विज्ञान एवं तकनी□ी सपोर्ट क्षमताओं का विकास (विज्ञान एवं तकनीकि,1981), खान बचाव सेवाओं का विकास (डी0एम0आर0एस0,1981) तथा खानों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु मा-ाव संसाध-ा वि□ास (एच0आर0डी0, 1990) को मिलाकर किया गया है।

निरीक्षण अधिकारियों के तकनीकि एवं व्यावसायिक क्षमता को अद्यतन बनाने तथा खान सुर□ा महा-िदेशालय □ वि-ियम□, प्रवर्तनकारी, परामर्शदात्री तथा प्रोन्नय-ा□ारी भूमिका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है: -

(अ) विज्ञान एवं तकनीकी सपोर्ट

13.37 इस योजना का उद्‌देश्य खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों को आंतरिक वैज्ञानिक सपोर्ट की सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे अपनी प्रर्वतनीय, नियमन तथा प्रोन्नयन संबंधित कार्यों को कुशलतापुर्वक निपटा सके । यह खान प्रचालकों, श्रमिक संगठनों, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मामलों से संबधित अन्य संस्था-ों □ो भी वैज्ञानिक सपोर्ट उपलब्ध कराता है । विज्ञान एवं तकनीकि प्लान योजना का कार्यकलाप व्यावसायिक स्वास्थ्य, स्ट्राटा कन्ट्रोल, खान संवातन, खान गैस, अग्नि और विस्फोट, खनन तकनीक, खान यंत्रीकरण, तेल एवं पोखरिया खान सुरक्षा, मानक निर्धारण एवं नीतिगत योजना शामिल है ।

मु□य □ार्य□म

विज्ञान एवं तकनीकी योजना के वृहद कार्यक्रमों में शामिल हैं:-

1.व्यावसायि□ सुर□ा

(क) बोर्ड एवं पिलर कार्यो में व्यवहृत सपोर्ट प्रणाली के तकनीकी मानकों के कार्यान्वयन □ा प्रबोध-ा

(ख) बहुसीम कार्य प्रचालन के स्थायित्व मा-ा□ों □ा पु-ारी□□

(ग) आग का पता लगाना, उसका नियंत्रण तथा अग्निरोधी उपायों के मान□ों □ी

समीक्षा तथा उनसे संबंधित मा□दर्श-ों/मा-□ों □ा पु-री□□

(घ) खनन यंत्रीकरण से जुड़ी हुई जोखिमों का मूल्यांकन तथा प्रबोधन तकनीकों एवं नियंत्रक उपायों का मानकीकरण।

(i) द्रवचालित/धर्षण प्रापों तथा पावर सपोर्ट की जाँच हेतु प्रोटोटाइप जाँचों का मा-□ी□र□

(ii) पराश्रव्य जाँच तकनीकों का मानकीकरण एवं स्वीकृत तथा अस्वीकृत मानदण्डों □ा सूत्री□र□

(iii) अग्निरोधी हाइड्रॉलिक तेलों की जाँच

(2) व्यावसायिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

(□) □म प्र□ाश, □ा-ा □ी □ैसों, वायु □ धूलकण तथा ध्वनि द्वारा उत्पन्न व्यावसायिक खतरों के नियंत्रण एवं नि□रा-ी के लिए तकनीकी मा-□ी□र□

(ख) चिकित्सीय जाँच के मानकों की समीक्षा

(ग) पहले से मौजूद व्यावसायिक रोगों की निगरानी हेतु कार्यविधियों का मा-□ी□र□

(□ा) खान बचाव सेवाओ का विकास

इसका उद्देश्य खनन उद्योग में समुचित बचाव सेवाओ को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अन्तर्गत बचाव उपकरणों और स्व-बचाव उपकरणों की डिजायन वैशिष्टय के विवेचनात्मक मूल्यांकन पर विचार, उसके क्षेंत्रीय निष्पादन का मूल्यांकन, बचाव उपकरणों □ प्रयोग से होनेवाली दुर्घटनाओ की जांच, बचाव केन्द्र और बचाव कक्ष का निरीक्षण, बचाव प्रतियोगिता आयोजित करना, सभी भूमिगत खानो के प्रबंधन द्वारा आपात नक्शा बनाने में प्रबंध करने और खान बचाव नियम, 1985 के तहत अनुमति/अनुमोदन/छूट देने से संबंधित आवेदन पर विचार किया जाता है।

मु□य □ार्य□म

1. रिसस्सीकेटर के एस सी बी ए हेतु जाँच सुविधा उपलब्ध कराना ।
2. बचाव डाटाबेसों का सृजन
   - (i) सी एम आर/ ओ एम आर/ एम एम आर डाटाबेस
   - (ii) आर आर ए ई डाटाबेस
3. बचाव प्रणालियों का डिजायन
   - (i) बाढ आर आर एस
   - (ii) आग आर आर एस
   - (iii) विस्फोटक आर. आर. एस.
4. आपदा नियंत्रण प्रणाली का विकास
5. स्व. बचाव उपकरण की जांच, एस सी बी ए की जांच
6. बचावकर्त्ता प्रतियोगिता
7. मानक निर्धारण, आपातकालीन योजनाओ का पुनरीक्षण
8. खनन उद्योग को तकनीकी परिपत्र जारी □र-ा

(□) मा-व संसाध-ा वि□ास

इसके तहत धनबाद तथा नागपुर में खान सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अकादमी का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से खा0 सु0म0नि के निरीक्षण अधिकारियों को संरचनात्मक प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि उनकी तकनीकी तथा व्यावसायिक दक्षता अद्यतन और विस्तृत हो सके और उनके विनियंत्रणकारी, प्रवर्तनकारी, परामर्शी तथा प्रोत्साहक कर्तव्यों में सुधार हो सके । अकादमी की ऐसी सुविधाओं से खान सुरक्षा के सिद्धांतों की नवीनतम सूचनाओं का खनन उद्योग के मुख्य सुरक्षा कर्मियों तथा कामगार निरीक्षकों के बीच प्रचार प्रसार में उपयोग हो सकेगा ।

वृहद □ार्य□म :

1. प्रशिक्षण अनुसूचियों का विकास
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन

(□) □ा0सु0म0नि0 के अधिकारियों का प्रशिक्षण
- (i) -ाये प्रवेश□र्त्ता
- (ii) वर्तमान अधिकारीगण
- (iii) विशेष व्या□या-ा

(ख) खनन उद्योग के मुख्य कर्मियो का प्रशिक्षण
- (i) प्रबंध-ा□र्मी
- (ii) सुर□ापदाधि□ारी
- (iii) संवातन अधिकारी
- (iv) अभियंता
- (v) औद्योगिक स्वास्थ्यविज्ञा-ी
- (vi) □ार्य□ारी प्रशि□ु
- (vii) व्यवसायिक प्रशिक्षण अधिकारी

(□) श्रमि□ निरी□□ों □ा प्रशि□□

खनन दुर्घटनाओं का अध्ययन एवं खान सुरक्षा सूचना प्रणाली का विकास (सोमा)

इस योजना को खान सुरक्षा महानिदेशालय की दो चालू योजनाओं खान सुरक्षा सूचना प्रणाली का विकास (डी एम एस आइ एस, 1976) तथा निरोधी उपायों की योजना बनाने हेतु खान दुर्घटनाओं का अध्ययन (सोमा, 1976) को मिलाकर बनाया गया है। ये दोनों योजनायें 8 वीं योजना तथा नौवीं योजन के प्रथम चार वर्षों तक क्रियाशील रही। वर्ष 2001-2002 में इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक योजना में बदल दिया गया ।

(□) निरोधी उपायों की योजना बनाने हेतु खान दुर्घटनाओं का अध्ययन (सोमा)

इस योजना का मूल उद्देश्य निम्नवत है :-

- खान में होनेवाले गंभीर दुर्घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाकर उनका अध्ययन करना और निवारक उपाय बताना जिन्हें लागू करने पर खानों की सुरक्षा मानको में सुधार हो सके ।
- दुर्घटना कें आंकड़ो तथा जोखिम मूल्यां□-ा □ □ह-ा विश्लेष□ □ द्वारा उच्च दुर्घटना प्रवृत खानों की पहचान कर उन्हें दुर्घटनारहित बनाने हेतु निवारक उपाय प्रस्तावित करना ।
- गंभीर दुर्घटनाओं को जन्म देने वालें निहित कारकों का गहन अध्ययन कर दुर्घटनाओ के मुख्य कारक समूहों के संदर्भ में बहु-अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य का विकास तथा खतरों के संभावित क्षेत्रों का पूर्वानुमान के आधार पर पहचान कर निवारक उपाय बताना ।
- दुर्घटनाओं को जन्म देने वाले कारकों की उचित जाँच हेतु कृत्रिम दुर्घटना कराना। इससे जोखिम तथा खतरा मूल्यांकन के माध्यम से खतरों का पूर्वा-ुमा-ा ल□ा□र सां□यि□□ विश्लेष□ को आधार प्रदान करने में अतिरिक्त सहायता मिलेगा।
- खनन गतिविधि के विविध तकनीकी तथा कल्याणकारी पक्षों पर विस्तृत सूचना एकत्रित कर उन्हें परिचालित करने में निम्नलिखित क्षेत्रों में मदद मिलेगा-

  * संविधि के अधीन विविध प्रावधानों के □ार्या-वय-ा □ा मूल्यां□-ा
  * श्रम बल प्रोफाइल का मूल्यांकन
  * खनन क्षेत्र में भावी विकास को बढाना
  * सुरक्षा कार्यक्रमों तथा अभियानों के प्रभाव □ा मूल्यांकन तथा विकास

(ा) खान सुरक्षा सूचना प्रणाली का विकास (डी एम एस आइ एस)

प्लान योजना के इस अंश को खान अधिनियम, 1952 के प्रभावी प्रशासन को खान सुरा महानिदेशालय में सांियीय सहयो प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस अधिनियम तथा इसके तहत निर्मित विभिन्न नियमों तथा विनियमों के अनुसार खान अधिनियम के क्षेत्राधिकार के तहत आनेवाले प्रत्येक खान के प्रबंधन के लिए यह अनिवार्य है कि वह खनन प्रचालन के विभिन्न रूपरेखा जैसे औसत दैनिक नियोजन, उत्पादन, मशीन तथा विस्फोटक संबंधित सूचना मासिक,तिमाही तथा वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में निर्धारित प्रपत्रों में भरकर दें।

प्राप्त सूचना के आधार पर नियोजन, उत्पादन, यंत्रीकरण, बारूदों के उपयोग, श्रम आय की तालिका को सारणीबद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त खानों में होनेवाली दुर्घटनाओं तथा संदर्भ वर्ष में प्रत्येक प्राणघातक दुर्घटना की जाँच-पड़ताल के निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण की सूची **भारतीय खानों की सांख्यिकी - खण्ड I एवं खण्ड II** शीर्ष -ाम प्राश-ा में जारी किया जाता है। खण्ड I में कोयला खान तथा खण्ड II में तेल एवं धातुमय खानों से संबंधित है।

अप्रैल से अक्टूबर 2006 तक **भारतीय खानों की सांख्यिकी खण्ड I तथा II** ा वार्षि प्रकाशन वर्ष 2004 के लिए प्रकाशित किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2005 के लिए आँकडे प्रक्रियाधीन है, जिसे मार्च 2007 में पूरा होने की संभावना है।

"दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा" नामक एक प्रकाशन मास दर मास दुर्घटनाओं की प्रवृति को दर्शाने के लिए जारी किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस योजना के तहत समस्त मुख्य कार्यकलापों जिसमें मुख्य विकास तथा संगठन की उपलब्धियाँ शामिल हैं, की **मासिक गतिविधि रिपोर्ट** प्रकाशित किया जाता है।

रोजगार प्रबंधन एवं सम-वय (सी एम टी)

प्रशासनिक एवं वित्तीय मुद्दों तथा ाा-ा प्राली के तकनीकी पक्षों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु कई अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
संगठन कार्य

13.38 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (रासुप) श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 मार्च, 1966 को गठित की गई, जो त्रिपक्षीय प्रशासक मंडल द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है । राष्ट्रीय स्तर पर देश में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर स्वैच्छिक आंदोलन विकसित करना और जीवन हानि, मानवीय कष्टों तथा आर्थिक नुकसान को रोकना इसका अभियान है । यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और अखिल भारतीय स्तर पर इसके लगभग 65,200 सदस्य है, जिनमें निगम (औद्योगिक प्रतिष्ठान, नियोक्ता संगठन्, व्यावसायिक निकाय एवं संस्थान तथा श्रमिक संघ), व्यक्तिगत और आजीवन सदस्य शामिल हैं । देश के विभिन्न राज्यों में इसकी 15 शाखाएं और 31 कार्रवाई केन्द्र हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्यकलापों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एचएसई परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना, आपातकालीन तत्परता तथा अन्य परामर्श सेवाएं प्रदान करना, तकनीकी प्रकाशन एवं आवधिक पत्रिकाएं (तिमाही औद्योगिक सुरक्षा कोनिकल एवं द्विमासिक समाचार-पत्र) जारी र-ा, सुरक्षा प्रचार साहित्य तैयार एवं विरित

करना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह, अग्निशमन सेवा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस, आईएलओ-विश्व दिवस इत्यादि जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रचार अभियान जारी रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सुरक्षा पुरस्कार योजना प्रचालित करना तथा राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएं संचालित करना शामिल हैं । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसने आईएलओ, यूनेप, विश्व बैंक, ईपीए (यूएसए), एडीपीसी (बैंकॉक), डब्ल्यूईसी, जिशा (जापान), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (यूएसए) और अपोशों (एशिया पेसिफिक व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संगल्न), जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संस्थाप□ सदस्य है, के सदस्य संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग कायम किया है ।

'सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण' विषय पर 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन

13.39 5-7 अप्रैल, 2006 को विज्ञा-ा भव-ा, नई दिल्ली में 'सुर□ा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण' : समस्याएं, रणनीतियां और कार्यक्रम - भारत की स्थिति - वैश्विक परिदृश्य विषय पर आयोजित 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । आमंत्रितगण के अलावा, इसमें देशभर के विविध □त्रों के प्रमुख भागीदारों की ओर से 729 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन में वर्तमान समस्याओं को समाहित करते हुए, 9 अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं सहित, छियानवे अध्यक्षों, वक्ताओं एवं सूचीबद्ध विशेषज्ञों -ने विभिन्न विषयों पर व्या□या-ा दिए । श्री चन्द्र शेखर साहू, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पुरस्कार वितरित किए और एचएसई प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया । 3 अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत, कुल 67 पुरस्कार दिए गए, जिनमें विनिर्माण क्षेत्र (2004 एवं 2005), निर्माण क्षेत्र (2005) तथा सर्वोत्तम शाखा पुरस्कार (2004-05) शामिल थे । श्री के.एम. साहनी, केन्द्रीय श्रम और रोजगार, सचिव ने क्रोनिकल के सम्मेलन विशेषांक का विमोचन किया ।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नये कार्यकलापों के लिए मार्गचित्र

13.40 परिषद ने सड़क परिवहन सुरक्षा, -निर्मा□ □त्र में सुर□ा और लघु एवं मध्यम उद्यमों में ओएसएच नामक तीन क्षेत्रों ने नये कार्य शुरू किए हैं । रिपोर्ट की अवधि में इन नये कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप किए गए :

(i) सड़क परिवह-ा सुर□ा

- रासुप और एलपीए ने मिलकर सुरक्षित वाह-ा-चालन पर वीसीडी तैयार की ओर उन्हें परिषद के निगम सदस्यों को उपलब्ध कराया गया ।
- 27 जून, 2006 को रासुप अधिकारियों के लिए रक्षात्मक वाहन-चालन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

(ii) निर्माण के क्षेत्र में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

निर्माण क्षेत्र के लिए रासुप के कार्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सम्मेलन, सुरक्षा परीक्षण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक पुस्तिका एवं सुरक्षा प्रचार साहित्य विकसित करना, ओएसएच सूचना एवं सलाह सेवाएं प्रदान करना तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक पृथक सुरक्षा पुरस्कार योजना प्रचालित करना शामिल है । इस अवधि में रासुप द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

- निर्माण कार्य में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर 13-16 जून, 2006 को 4-दिवसीय

विशिष्ट लोक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

- स्कैफोल्डिंग और ऊंचाई पर कार्य पर 27-28 अप्रैल, 2006 और 17-18 -ावम्बर, 2006 □ो 2-दिवसीय विशिष्ट प्रशि□□ □ार्य□म आयोजित किए गए।
- इस अवधि के दौरान छह अंत:संयंत्र प्रशि□□ □ार्यक्रम आयोजित किए गए।
- इस अवधि के दौरान एक सुरक्षा परीक्षण कार्य किया गया ।

राष्ट्रीय एपेल केन्द्र (एन.ए.सी.)

श्रीलंका में रासुप का एपेल अनुभव

13.41 स्थानीय स्तर पर आपातकाल हेतु राष्ट्रीय जागरूकता एवं तत्परता (एपेल) केन्द्र (एन.ए.सी.) विश्व में एपेल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में यूनेप ने श्रीलंका में एपेल कार्यक्रम आरम्भ किया है ।

यू-ोप □ सहयो□ से श्रीलं□ा □ पर्यावर□ मंत्रालय और केन्द्रीय पर्यावरण प्राधिकरण द्वारा 21-23 जून, 2006 को कोलम्बो में आयोजित 3-दिवसीय एपेल कार्यशाला में यूनेप ने महानिदेशक सहित रासुप के दो विशेषज्ञों □ो आमंत्रित किया ।

यूरोपीय आयोग के यूरोपीय संघ-एशिया अति-पारिस्थितिक सुनामीत्तर □ार्य□म में रासुप □ा यू-ोप □ साथ सहयो□

13.42 यूरोपीय आयोग द्वारा प्रायोजित यूनेप के उपर्युक्त सु-ाामीत्तर □ार्य□म में रासुप 3 एशियाई भागीदारों में से एक है । यह द्विवर्षीय परियोजना दिसम्बर, 2004 में सु-ाामी प्रभावित किसी पर्यटन स्थल में कार्यान्वित की जाएगी । इसके लिए भारत में कन्याकुमारी □ो चुना गया है जिसमें भारी पानी संयंत्र, दुटिकोरिन में स्थापित एनएसी उपकेन्द्र और रासुप □ी स्था-ीय शा□ा □ो शामिल □िया जाएगा ।

लोकमान्य मेडिकल फाउन्डेशन (एलएमएफ) के साथ समझौता

13.43 रासुप ने एलएमएफ के साथ इस उद्देश्य से समझौता किया है कि सड़क परिवहन में आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ईएमएस) के कार्य को दोनों मिलकर सुदृढ़ बना सकते हैं, जिससे उद्योग और जनता को बहुत लाभ मिले□ा। एलएमएफ, एनएसी उपकेन्द्र के रूप में □ाम □रेगी । इस समझौता के तहत पहली संयुक्त गतिविधि के रूप में 17 अक्तूबर, 2006 को पुणे में विश्व आघात दिवस मनाया गया और ऑटोरिक्शा चालकों के लिए मूलभूत जीवन रक्षा पर एक कार्यशाला आयोजित की गई

भारासुप सुर□ा पुरस□ार

13.44 विनिर्माण क्षेत्र के लिए भारासुप सुरक्षा पुरस्कार योजना 1998 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था प्रभावकारी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियां और प्रक्रियाएं विकसित एवं कार्यान्वित करने हेतु कारखानों को सम्मानित करना ।

श्री चन्द्र शेखर साहू, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने 5 अप्रैल, 2006 □ो विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्ष 2004 एवं 2005 के लिए विनिर्माण क्षेत्र, वर्ष 2005 के लिए निर्माण क्षेत्र तथा वर्ष 2004-05 के लिए सर्वोत्तम शाखा पुरस्कार के तहत पुरस्कार प्रदान किये ।

सर्वोत्तम रासुप शाखा पुरस्कार योजना

13.45 रासुप के अभियान को आगे बढ़ाने में शाखाओं के कार्य को सम्मानित करने के लिए यह योजना वित्तीय वर्ष 2004-05 से शुरू □ी

गई। शाखाओं को बड़ी, माध्यम और छोटी, इन तीन श्रेणियों में बांटा गया । वर्ष 2004-05 □ लिए ‘बड़ी श्रेणी’ में तमिलनाडु शाखा ने और ‘छोटी श्रेणी’ में □रल शा□ा -ो सर्वोत्तम शा□ा का पुरस्कार जीता ।

सुरक्षा परामर्श सेवाएं

13.46 सुर□ा परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन होने के नाते रासुप निर्माण स्थलों सहित विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए सुरक्षा परमार्श सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें कारखानों और कार्यालयों के विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, हेजॉप अध्ययन, कार्यस्थली आपातकालीन योजना बनाना/समीक्षा करना, सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि शामिल हैं । विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कुल 36 सुरक्षा परामर्श कार्य किए गए ।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) प्रशिक्षण

13.47 एचएसई प्रशिक्षण रासुप की प्रमुख □तिविधि है । इसलिए, रासुप ने उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार एवं विकसित करने पर जोर देना जारी रखा है । अवधि के दौरान, 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की गई, जिनमें 12 राष्ट्रीय स्तर, 25 इकाई स्तर की थीं और इनमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों से कुल 1272 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय अभियान

13.48 इस अवधि के दौरान अग्निशमन सेवा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जैसे राष्ट्रीय अभियान चलाए गए ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कैलेन्डर 2006

13.49 एचएसई जागरूकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों को बल प्रदान करने के लिए रासुप ने 8 पन्नों का बहुरंगी राष्ट्रीय सुरक्षा कैलेन्डर-2007 तैयार किया है, जिसकी तकनीकी संकल्पना रासुप ने विकसित की है तथा व्यंग्यचित्र पद्मभूषण श्री मारियो डि मिरांड ने बनाए हैं । इसे दिसंबर, 2006 तक प्रकाशित किया जाएगा ।

एचएसई डायरी-2007

13.50 रासुप वर्ष 1998 से स्वास्थ्य, सुर□ा एवं पर्यावरण (एचएसई) पर एक डायरी प्रकाशित करती आ रही है । वर्ष 2007 की डायरी में वर्तमान एचएसई क्षेत्रों जैसे ओएसएच हेतु प्रचार प्रारूप पर आईएलओ कन्वेन्शन एवं सिफारिशे, पोत विच्छेदन/पुनश्चकण उद्योग में खतरे, सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करने में मार्गदर्शन, विपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, ओएसएच प्रबंधन प्रणालियां, खाद्य सुरक्षा, उर्जा संरक्षण, अग्नि सुरक्षा इत्यादि पर बहुमूल्य तकनीकी जानकारी दी गई है ।

औद्योगिक विपदा प्रबंधन में रासुप की भागीदारी

13.51 राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ सहयोग

- “राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन नीति एवं मा□-निर्देश-रासायनिक विपदाएं” पर एक दस्तावेज तैयार करने में प्रमुख भूमिका।
- परमाणु विपदाओं के केंद्रीय दल में रासुप एक सदस्य के रूप में।

13.52 **एनआईडीएम के साथ सहयोग**

- प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा औद्योगिक विपदा प्रबंध-ा □ार्यशाला
- औद्योगिक एवं रासायनिक विपदा प्रबंधन पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला

- नोएडा और ग्रेटर नोएडा- जुड़वां नगरों हेतु विपदा प्रबंधन योजना का विकास
- 28-29 नवंबर, 2006 को नई दिल्ली में पहली भारतीय विपदा प्रबंधन महासभा

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित कार्यदल में रासुप का प्रतिनिधित्व

13.53 योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु गठित 2 निम्नलिखित कार्यदलों में महानिदेशक, रासुप को सदस्य बनाया गया :

- "व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य" पर कार्यदल
- "गुणवत्ता, प्रमाणन एवं अनुरूपता मूल्यांकन" पर कार्यदल

अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकलाप

केआईएसए के साथ समझौता ज्ञापन

13.54 भारासुप ने व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में दोनों संगठनों के बीच सहयोग के लिए कोरिया गणराज्य के कोरिया औद्योगिक सुरक्षा संघ (केआईएसए) के साथ 4 जुलाई, 2006 को सिओल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ।

इस समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- तकनीकी सहयोग एवं आदान-प्रदान के जरिए ओएचएस के विकास हेतु आगे बढ़कर सहायोग करना ।
- कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर तकनीकी कर्मियों का आदान-प्रदान
- संयुक्त परियोजनाओं और औद्योगिक गतिविधियों हेतु सुरक्षित पर्यावरण तैयार करने के लिए विशेष क्षेत्र तलाशना ।
- जानकारी और सामग्री का आदान-प्रदान

अपोशो-22 सम्मेलन तथा वार्षिक सामान्य बैठक (9-12 मई, 2006)

13.55 22वाँ अपोशो सम्मेलन तथा वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) का आयोजन दिनांक 9-12 मई, 2006 को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्य संवर्द्धन संघ, थाईलैंड की मेजबानी में बैंकाक में किया गया । श्री एच महादेवन, उपाध्यक्ष (कामगार) तथा श्री के.सी.गुप्ता, महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद वाले दो सदस्यी प्रतिनिधि मंडल ने भारत की ओर से सम्मेलन, वार्षिक सामान्य बैठक तथा परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया ।

*****

इकाइयां	**तकनीकी**		**प्रशासनिक**		**कुल**	
	स्वीकृत	**कार्यरत**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**
मुख्यालय	14	9	47	40	61	49
के.श्र. सं., मुंबई	98	64	93	78	191	142
4 क्षे.श्र. सं.*	80	54	80	64	160	118
गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय	22	13	32	27	54	40
कुल	214	140	252	209	446	349

* क्षे. श्र. सं., फरीदाबाद में अभी पद सृजित किया जाना शेष है।

<u>तालिका 13.3</u>

<u>भारत में खनन गतिविधियों में वृद्धि</u>

वर्ष	रिपोर्ट की जानेवाली खानों की संख्या			खनिजों का मूल्य (मिलियम रूपये में)			औसत/कुल एच0 पी0 (हजार में)			व्यवहृत विस्फोटक हजार टन में	
	कोयला	धातु	तेल	कोयला	धातु	तेल	कोयला	धातु	तेल	कोयला	धातु
1996	576	1872	32	157474	36521	37388	5300	1877	523	207.8	47.2
1997	580	1834	34	193877	43758	40813	5314	2016	570	232.7	43.4
1998	594	1864	37	205307	45286	53136	5399	2020	602	247.0	47.1
1999	598	1957	44	219101	46415	83982	5660	2147	744	267.6	49.8
2000	595	2022	45	234531	53111	92954	5561	2371	757	290.5	55.4
2001	568	1907	43	261082	54032	106747	5586	2190	778	292.6	55.8
2002	567	1870	42	286390	64965	123326	5432	1997	757	315.3	55.6
2003	562	1761	49	299954	77605	131897	5677	1950	747	309.8	63.7
2004	560	1764	47	322425	104283	166083	5728	2336	685	312.6	70.5
2005 *	567	2110	50	368940	104388	168085	5800	2338	701	350.3	71.1

***** आकड़े अनंतिम हैं।

तालिका 13.4

खानों में हुई दुर्घटना की प्रवृति

वर्ष	कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या			गैर कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या		
	घातक	गंभीर	योग	घातक	गंभीर	योग
1997	143	677	820	70	265	335
1998	128	523	651	56	254	310
1999	127	595	722	61	230	291
2000	117	661	778	51	187	238
2001	105	667	772	71	199	270
2002	81	629	710	52	205	257
2003	83	563	646	52	168	220
2004	87	962	1049	57	188	246
2005*	99	985	1084	57	108	119
2006*	62	537	599	49	54	103

नोट - *वर्ष 2005 एवं 2006 के आँकड़े अनंतिम है। 2006 के आँकड़े जनवरी से सितंबर 2006 तक ।

तालिका 13.5
कोयला खानों में दुर्घटनाओं की कारणवार प्रवृत्ति

कारण	प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या						गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या					
	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
छतों का गिरना	30	23	18	26	19	10	35	45	39	44	36	19
पार्श्वों का गिरना	9	11	5	8	7	3	43	38	27	67	39	16
अन्य भूतल प्रचलन	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
शॉफ्ट में वाइन्डिंग	2	0	1	0	1	1	6	4	4	5	2	2
रॉप हॉलेज	15	6	10	5	12	6	116	85	84	127	148	128
डम्पर ट्रक इत्यादि	19	14	21	22	21	10	32	28	35	20	32	25
अन्य परिवहन संयंत्र	1	2	2	3	3	4	23	19	15	10	12	35
गैर परिवहन संयंत्र	10	9	11	7	12	6	34	39	43	28	41	30
विस्फोटक	2	4	3	5	2	1	7	9	6	8	3	0
विद्युत	4	4	1	4	3	3	5	7	3	4	4	1
गैस, धूल, आग इत्यादि	0	0	2	2	0	3	0	2	6	2	0	0
व्यक्तियों का गिरना	7	4	5	3	9	3	191	151	147	307	248	136
वस्तुओं का गिरना	2	2	1	0	4	6	83	99	90	183	234	90
अन्य कारण	4	1	2	2	6	5	91	103	64	156	185	55
योग	**105**	**81**	**83**	**87**	**99**	**62**	**667**	**629**	**563**	**962**	**985**	**537**

नोट - वर्ष 2005 एवं 2006 के आँकड़े अनंतिम है। 2006 के आँकड़े जनवरी से **सितंबर** 2006 तक

तालिका 13.6

गैर कोयला खानों में दुर्घटनाओं की कारणवार प्रवृत्ति

कारण	प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या						गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या					
	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
छतों का गिरना	2	1	1	2	1	2	0	1	1	2	2	0
पार्श्वों का गिरना	8	10	7	12	6	7	1	1	1	3	0	1
अन्य भूतल प्रचलन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शॉफ्ट में वाइन्डिंग	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
रॉप हॉलेज	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	1	0
डम्पर ट्रक इत्यादि	22	10	13	18	13	17	14	14	15	11	10	5
अन्य यातायात संयंत्र	4	3	2	3	1	1	2	3	3	2	3	6
गैर यातायात संयंत्र	7	6	6	6	8	5	23	23	25	22	15	4
विस्फोटक	6	8	5	3	4	2	0	2	1	0	1	0
विद्युत	1	1	3	2	1	0	1	4	1	0	0	0
गैस, धूल, आग इत्यादि	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
व्यक्तियों का गिरना	11	10	11	6	14	10	44	41	23	41	22	13
वस्तुओं का गिरना	2	2	3	3	6	4	53	45	45	38	20	13
अन्य कारण	5	1	0	2	2	1	55	69	52	69	31	12
योग	**71**	**52**	**52**	**57**	**57**	**49**	**199**	**205**	**168**	**188**	**108**	**54**

नोट - वर्ष 2005 एवं 2006 के आँकड़े अनंतिम है। 2006 के आँकड़े जनवरी से सितंबर 2006 तक ।

तालिका 13.6 ए

खानों में दुर्घटनाएँ एवं मृत्यु

वर्ष	कोयला					गैर कोयला				
	प्राणघातक दुर्घटना			गंभीर दुर्घटना		प्राणघातक दुर्घटना			गंभीर दुर्घटना	
	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	घायल
1997	143	165	22	677	703	70	77	13	265	272
1998	128	146	18	523	542	56	65	15	254	258
1999	127	138	21	595	629	61	72	13	230	238
2000	117	144	28	661	679	51	55	2	187	192
2001	105	141	14	667	706	71	81	8	199	200
2002	81	97	15	629	650	52	64	3	205	206
2003	83	113	12	563	578	52	62	16	168	169
2004	87	96	14	962	977	59	66	10	188	194
2005 *	99	120	19	985	998	57	61	4	108	109
2006 *	62	113	7	537	551	49	54	7	54	54

नोट - वर्ष 2005 एवं 2006 के आँकड़े अनंतिम है। 2006 के आँकड़े जनवरी से सितंबर 2006 तक ।

- वर्ष 1951 से 2000 एवं 2001-2005 तक दस वर्ष के औसत के आधार पर प्रति 1000 नियोजित व्यक्तियों पर प्राणघातक दुर्घटनाओं एवं मृत्युदर की प्रवृति तालिका 13.6बी में दर्शाया गया है ।

तालिका 13.6 बी

प्रति 1000 नियोजित व्यक्तियों पर प्राणघातक दुर्घटनाओं एवं मृत्युदरों की प्रवृत्ति (दस वर्षीय औसत)

वर्ष	कोयला खान				गैर कोयला खान			
	औसत दुर्घटना	दुर्घटना दर	औसत मृत्यु	मृत्यु दर	औसत दुर्घटना	दुर्घटना दर	औसत मृत्यु	मृत्यु दर
1951-60	222	0.61	295	0.82	64	0.27	81	0.34
1961-70	202	0.48	260	0.62	72	0.28	85	0.33
1971-80	187	0.40	264	0.55	66	0.27	74	0.30
1981-90	162	0.30	185	0.34	65	0.27	73	0.31
1991-2000	140	0.27	170	0.33	65	0.31	77	0.36
2001-2006*	91	0.22	113	0.27	56	0.35	65	0.40

नोट - आँकड़े अनंतिम तथा **सितंबर** 2006 तक है ।

तालिका 13.7

निरीक्षणों एवं जाँचों की संख्या

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या				जाँचों की संख्या				
	कोयला	धातु	तेल	योग	कोयला	धातु	तेल	योग	कुल योग
1995	5461	3206	181	8848	1102	396	21	1519	10367
1996	5525	2491	226	8242	1105	330	50	1485	9727
1997	4563	2404	189	7156	1157	406	34	1597	8753
1998	4752	2539	166	7457	1127	398	29	1554	9011
1999	6106	3061	198	9365	1319	483	26	1828	11193
2000	5642	3614	245	9501	1163	325	26	1514	11015
2001	5410	2908	229	8547	1148	418	51	1617	10164
2002	5667	2856	269	8792	1022	402	30	1454	10246
2003	5574	3247	246	9067	966	427	13	1406	10473
2004	5214	2983	228	8425	834	436	08	1278	9703
2005	5247	3107	295	8649	933	372	30	1335	9984
2006*	2914	1656	161	4731	550	242	19	811	5542

नोट - आँकड़े अनंतिम तथा **सितंबर** 2006 तक है ।

तालिका 13.8

अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2006 के दौरान प्राप्त आवेदन एवं निर्गत की गई सक्षमता प्रमाण पत्र

सक्षमता प्रमाण पत्रों की श्रेणी	कोयला खान विनियम 1957 के तहत		धातुमय खान विनियम 1961 के तहत	
	प्राप्त आवेदन	निर्गत प्रमाण पत्र	प्राप्त आवेदन	निर्गत प्रमाण पत्र
प्रबंधक	4239	299	2055	169
सर्वेक्षक	356	23	109	17
ओवरमैन/फोरमैन	1298	192	534	168
सरदार/मेट	654	47	328	121
शॉट फायरर/ब्लास्टर	22	0	117	59
वाइन्डिंग इंजन चालक	-	34	6	7
गैस जाँच	1988	205	58	3